याचिका क्र. 38/06

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

सचिव,
म.प्र. विद्युत कर्मचारी कांग्रेस, — आवेदक
एम.आई.जी. 1/28/481, इंदिरा नगर कालोनी,
जिला – रीवा.

विरूद्ध

1. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर (म.प्र.) — अनावेदक
2. आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारिता विभाग, विन्ध्यालच भवन, भोपाल
3. अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर
4. कार्यपालन यंत्री, (संचारण/संधारण), संभाग रीवा, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, रीवा

: आदेश :

(दिनाँक 11 जुलाई, 2006 को पारित)

विषय : पूर्व, ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, रीवा (म.प्र.) के कर्मचारियों के म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल में विलय एवं वेतनमान तथा अन्य स्थापनागत सुविधाओं के संबंध में ।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री अतुल नेमा, एडवोकेट उपस्थित ।

अनावेदक की ओर से श्री ए.के. कुलश्रेष्ठ, एडीशनल एस.ई. तथा श्री ए.के. लाकरा, ई.ई, जबलपुर उपस्थित ।

याचिकाकर्ता श्री जी.पी. त्रिपाठी द्वारा यह याचिका मण्डल में विलय किये गये समिति के कर्मचारियों को विद्युत मण्डल अनुसार वेतनमान व अन्य सुविधाएं देने के संबंध में दिनांक 14 मई, 2006 को प्रस्तुत की गई है ।

2. उक्त याचिका पर पूर्व में दिनांक 20 जून, 2006 को सुनवाई की गई थी । उक्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में संशोधन प्रस्तुत करने की आयोग से अनुमति चाही गई थी । आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा संशोधन प्रस्तुत करते हुए आयोग को बताया गया कि चूंकि आयोग का आदेश 20.2.2002 के अनुपालन में ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति, रीवा का विद्युत संबंधी कार्य मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल को दिनांक 15.3.2004 को सौंपा जा चुका है तथा समिति के कर्मचारियों का संविलियन हो चुका है । अन्य ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के कर्मचारियों को 1994 के वेतनमान प्रदान किये जा चुके हैं, किन्तु ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति, रीवा के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो कि अन्यायपूर्ण कार्य है । अतः आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष न्याय करने का निवेदन किया गया ।

3. मण्डल की ओर से याचिका के संबंध में अपना जबाव प्रस्तुत किया गया । मण्डल की ओर से जवाब में बतलाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 3558/05 माननीय हाई कोर्ट में लंबित है । यह तथ्य याचिका कर्ता द्वारा छिपाया गया है । अतः प्रकरण उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के आधार पर यह याचिका निरस्त की जाने योग्य है ।

4. आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अभिभाषक द्वारा आयोग के द्वारा याचिका क्रमांक 47/2001 में दिये गये आदेश दिनांक 20.2.2001 अनुसार रीवा ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति का लायसेंस निरस्त कर विद्युत वितरण फार्म म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल को सौंपा जा चुका है एवं समिति के कर्मचारियों का मण्डल में संविलियन भी हो चुका है । किन्तु मण्डल द्वारा उक्त समिति के कर्मचारियों को वेतनमान व अन्य सेवा शर्तों के मामले में अभी भी समिति के कर्मचारी मान रहा है । याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि समिति की ओर से उक्त याचिका क सुनवाई के समय उपस्थित अधिकारी श्री वी.पी. मालवीय ने समिति के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की कोई मांग नहीं की तथा उस समय माननीय उच्च न्यायालय में इस बारे में लंबित याचिका 4406/1998 के तथ्य की जानकारी भी आयोग को नहीं दी, जिसका वर्ष 2004 में निराकरण हुआ तथा उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रार कोआपरेटिव को समिति के कर्मचारियों को संशोधन वेतनमान देने पर विचार करने संबंधी निर्देश दिया गया था । किन्तु तब तक समिति का लायसेंस निरस्त हो चुका था । याचिकाकर्ता द्वारा मण्डल को संशोधित वेतनमान देने हेतु निर्देश देने हेतु निवेदन किया । याचिकाकर्ता के बाद में लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया ।

5. आज आयोग द्वारा दोनों पक्षों को श्रवण किया । सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा याचिकाकर्ता से प्रश्न किया कि क्या वह आयोग के आदेश दिनांक 20.2.2001 से संतुष्ट है या नहीं । किन्तु याचिकाकर्ता ने इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया । प्रकरण के तथ्यों एवं याचिकाकर्ता के तर्कों पर विचार करने के पश्चात् आयोग का यह अभिमत है कि – वेतनमान को पुनरीक्षित करने के संबंध में निर्देश देना आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है । इस संबंध में समुचित निर्णय का अधिकार मण्डल/संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी का है । याचिका क्रमांक 47/2001 में आदेश दिनांक 20.1.2002 के संबंध में आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इस आदेश में उस समितियों के कर्मचारियों को विद्यमान वेतनमान एवं सेवा शर्तों पर स्क्रीनिंग द्वारा मण्डल में लेने का आदेश दिया गया था, ताकि उक्त समितियों के क्षेत्र में विद्युत प्रदाय व्यवस्था प्रभावित नहीं हो सके । समितियों के लायसेंस निरस्त करने की स्थिति में तत्कालिक रूप से विद्युत प्रदाय व्यवस्था करना आवश्यक था । साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि भविष्य में ऐसे संविलियीत कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा । ऐसे कर्मचारियों का वेतनमान संशोधित करने की मांग पर विचार कर निर्णय लेने का

अधिकार केवल विद्युत मण्डल/संबंधित क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनी का है । संक्षेप में ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, रीवा के संविलियित कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण पर अनावेदकगण द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाता है तो इसमें आयोग को कोई आपत्ति नहीं है । मण्डल/संबंधित कम्पनी इस संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है ।

6. उक्त क्लेरिफिकेशन के साथ यह याचिका समाप्त की जाती है ।

उपरोक्तानुसार आदेश पारित ।

(डी. रायबर्धन)
सदस्य (अभि.)

(पी.के. मेहरोत्रा)
अध्यक्ष.